





फर्द अहकाम

रामनिवास चगै० बनाम बनवाशी चगै०

संख्या: 176/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.06.2024	<p>वकील वादी ने दावा बाबत इन्द्राज दुरुरती व खातेदारी घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 21.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	
21/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में वास्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/6/24 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	<p>मोबा 98425 4411 4779-83 5/1/24</p>
21/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में वास्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/7/24 को पेश हों।</p>	
21/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में वास्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/8/24 को पेश हों।</p>	
5/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त डायलॉग वादी व उनके अधिवक्ता को वाट-वाट आवाज लाजवाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता की भोत है केही भी उपस्थित नहीं होने के वादी का वाद डायलॉग डायलॉग परकी में लाजि डिमा जाता है। पत्रावली देखाप शुभाट होकर फर्द नामा दे फर्द, वाड तफरीह दालिज दफ्तार है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	

वादीगण को आर से वाद पत्र नाम प्रकार प्रस्तुत है-

[Signature]
[Signature]
[Signature]